

संयोजित अनुभव अभियन्ता

(बाढ़-बाढ़क अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-1351/आई0बी0/221-118बी/प्रमुख-4/सुपरीवेज/सम्पन्न/4711/2017-18

तारीख: दिनांक: मार्च 21, 2018

संयोजित नाम

शासनादेश संख्या-94/2018/537/सत्ताईस-सि-2-2018-उत्तर बजट/2016-17, दिनांक-18.03.2018 द्वारा एक अर्द्ध बालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में नाबाढ़ पोषित मद के अन्तर्गत अनुभव (बालू) बजट व्यवस्था में से रु 730.00 लाख (रु सात करोड़ तीस लाख मात्र)की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्बन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनवटन/प्राधिकृत किया जाता है :-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	मुख्य अभियन्ता संगठन	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	01-बाढ़ नियंत्रण		
	103-सिविल निर्माण कार्य		
	23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबाढ़ पोषित)		
	24-पूहत निर्माण कार्य		
1	जनपद बस्ती में घाघरा नदी के बाँधे तट पर कलवारी रामपुर कटव के कि०मी० 12.500, 13.200, 14.200, 15.100, 15.750, 16.200 एवं 16.800 पर 7 अर्द्ध स्वर के निर्माण की परियोजना। (Latitude:-26°36'8.29"N, Longitude:-82°50'42.77"E)	गण्डक, गोरखपुर।	730.00

(रु सात करोड़ तीस लाख मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-18.03.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जा रहा है। आवंटन आदेशों में शासनादेश दिनांक-18.03.2018 को प्रस्तर-3 को बिन्दु-1 से 27 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चिता करते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जाए तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित न की जाये।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-1351 (1)/आई0बी0/तददिनांक -21-03-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सुझना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सि०वि०, उ०प्र०, गोरखपुर को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश छायाप्रति सहित।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) गण्डक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।